



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रपत्र - 1

[कृपया नियम 33(1) देखें]

सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए नामांकन

जब सरकारी कर्मचारी का परिवार हो और वह एक सदस्य अथवा एक से ज्यादा सदस्यों को नामांकित करना चाहता हो ।

मैं,एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ, जो मेरे परिवार का/के सदस्य हैं, और उसे/उन्हें, नीचे वर्णित सीमा तक ग्रेच्युटी भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ, जो सेवा के दौरान मेरी मृत्यु होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए तथा मेरी मृत्यु पर ग्राह्य ग्रेच्युटी, जो सेवानिवृत्ति पर मुझे देय थी, को नीचे वर्णित सीमा तक प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ :

वास्तविक नामांकित व्यक्ति				दैकल्पिक नामांकित व्यक्ति	
नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम व पता	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	आयु	प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी का हिस्सा अथवा राशि	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम व पता, यदि कोई हो, जिसको, सरकारी कर्मचारी द्वारा पहले नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर अथवा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त किन्तु ग्रेच्युटी की राशि लेने से पहले नामांकित की मृत्यु होने पर, ग्रेच्युटी भुगतान प्राप्त करने का अधिकार दिया जा सके	प्रत्येक को देय ग्रेच्युटी का हिस्सा अथवा राशि

मेरे दिनांक को किए गए पहले नामांकन के स्थान पर यह नामांकन मान्य होगा। पहला नामांकन रद्द समझा जाय।

स्थान

दिनांक

निम्न गवाहों के समक्ष हस्ताक्षरित :

1)

2)

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाए)

.....	द्वारा नामांकन	कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....
पदनाम	दिनांक
कार्यालय	पदनाम

कार्यालय प्रमुख द्वारा नामांकन प्रपत्र की प्राप्ति की पावती के लिए प्रोफार्मा

सेवा में

.....
.....
.....

महोदय,

मुझे प्रपत्रमें ग्रेच्युटी के संबंध में आपका दिनांक का नामांकन एवं उसमें आपके द्वारा किए गए पिछले दिनांक के नामांकन को रद्द करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। हमने उक्त नामांकन प्रपत्र को विधिवत रिकार्ड में रख लिया है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
पदनाम

स्थान:

दिनांक

टिप्पणी: सरकारी कर्मचारी को सन्नाह दी जाती है कि यह उसके नामांकितों के हित में होगा, यदि नामांकनों व सम्बंधित नोटिसों और पावतियों की प्रतियाँ सुरक्षित रखी जाए, जिससे कि वह कर्मचारी की मृत्यु होने पर लाभार्थी के काम आ सकें।